माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

दण्डिक पुनरीक्षण क्र. 91/2003

1/ लक्ष्मीनारायण, आत्मज श्री हजारीलाल अग्रवाल
उम्र 60 वर्ष पेशा व्यापार।

2/ श्रीमती विमला देवी पति श्री लक्ष्मीनाराण अग्रवाल,
उम्र 54 वर्ष, पेशा ग्रहणी।

3/ मनीष अग्रवाल, आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,
उम्र 31 वर्ष पेशा व्यापार।
सभी निवासी अवंती विहार कालोनी रायपुर (छ.ग.)

....................पुनरीक्षणकर्ता

//विरूद्ध//

छ.ग. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन,
रायपुर छ.ग.

.....................प्रत्यार्थी

दण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397/401 दं.प्र.संहिता

आदेश
20/12/2024
सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

1) दण्डिक पुनरीक्षण क्र. 91/2003,

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल व अन्य 3

//विरूद्ध//

छ.ग. शासन

2) दण्डिक पुनरीक्षण क्र. 92/2003,

डॉ. सरिता अग्रवाल

//विरूद्ध//

छ.ग. शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों केसों में उपस्थित:

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से – श्री एस.सी. दत्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं
श्री पी. दीवाकर वरिष्ठ अधिवक्ता.

प्रत्यार्थी की ओर से – श्री जे.डी. बाजपेयी, श्री नीरज मेहता,
श्री राजकुमार गुप्ता एवं श्री संजीव कुमार
अग्रवाल अधिवक्ता

शिकायतकर्ता/आपत्तिकर्ता – श्री राजीव श्रीवास्तव अभिभाषक

आदेश

20/12/2024

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

उपरोक्त दोनों पुनरीक्षणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है जो संयुक्त निर्णय दिनांक 01/02/2004 से उत्पन्न है। जिनका निर्णय संयुक्त रूप से दिया जा रहा है।

2) यह पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397 सहपठित धारा 401 दं.प्र.संहिता आदेश दिनांक 01/02/2003 दाण्डिक प्रकरण नं. 391/2002 न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर जिला रायपुर छ.ग. द्वारा प्रत्येक अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 304 बी एवं अंतर्गत 304 बी एवं विकल्प में धारा 306 भा.दं.संहिता के अंतर्गत आरोप आरोपित किये गये हैं। पुनरीक्षणकर्ता नं. 1 से नं. 3 दाण्डिक पुनरीक्षण नं. 91/2003 ससुर, सास एवं मृतिका का पति तथा पुनरीक्षणकर्ता क्र.1 व 3 को दाण्डिक पुनरीक्षण नं. 92/2003 मृतिका की ननंद एवं देवर ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मनीष का विवाह मृतिका पूजा के साथ दिनांक 24/05/2001 में रायपुर में संपन्न हुआ था विवाह के पश्चात पूजा अपने पति एवं ससुराल वालों (पुनरीक्षणकर्ता/मृतिका) के साथ ससुराल में रहने चली गई और साथ रहते थे। दिनांक 05/06/2001 को पूजा और मनीष हनीमून के लिए दक्षिण भारत गए जहां वो दिनांक 17/06/2001

तक रूके रहे और वापस रायपुर आ गए। दिनांक 22/06/2001 को मनीष के भाई दिनेश अग्रवाल के घर भिलाई गए थे और वहां पर दो दिन रूकने के पश्चात दिनांक 24/06/2001 को वापस रायपुर आ गए और दिनांक 26/06/2001 को पूजा ने आत्महत्या कर ली। जिसकी मर्ग सूचना क्र. 42/2001 के रूप में पंजीकृत श्रीमती विमला बाई अग्रवाल जो पुनरीक्षण क्र. 2 है, जिसका क्रिमिनल रिविजन नं. 91/2003 है यह सूचना पेपर बुक पृष्ठ 50 पर अंकित है। मृतिका का कमरा प्रथम मंजिल पर है, मृतिका सास अपनी बहु को जो प्रथम मंजिल में उसका कमरा है में नहीं देखी, तत्पश्चात् वह मृतिका को ढूढ़ते हुए प्रथम मंजिल में स्थित स्टोर रूम की तरफ गई जो बंद था उसे खोल देखने पर स्टोर रूम में मृतिका का जला हुआ मृत शरीर था, उस समय अपरान्ह 15 बजे थे जिसकी सूचना उसी दिनांक 26.06.2001 को संबंधित थाने में लगभग 18 बजे दी और मृतिका के माता–पिता, जो संबलपुर में निवासरत् है को इस घटना की सूचना परिजनों द्वारा दूरभाष से दी। दिनांक 27.06.2001 को मृतिका के शव को परिजनों के आने के पश्चात् शव परीक्षण हेतु भेजा गया। दिनांक 27.06.2001 को आरक्षी केन्द्र रायपुर में रमेश चन्द्र अग्रवाल (पिता) एवं श्री नीला देवी (माता) का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कथन लेखबद्ध किया गया तथा दिनांक 28.06.2001 को मृतका के चाचा–चाची श्याम सुंदर अग्रवाल एवं श्रीमती रानी देवी अग्रवाल का कथन पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया। तत्पश्चात् मृतिका की बहन वंदना एवं बहनोई राजुल कुमार जजोदिया एवं चचेरा भाई राजकुमार गरोड़िया एवं अन्य व्यक्तियों का कथन भी लेखबद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य लोग एवं मृतिका के पड़ोसियों के कथन भी लेखबद्ध किए गए। जांचोंपरांत मृतिका के माता–पिता एवं अन्य परिजन अपने घर लौट गए। दिनांक 13.10.2001 को मृतिका के चाचा श्याम सुंदर अग्रवाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन रायपुर में दर्ज कराई। रायपुर में दर्ज कराई जिसका अपराध क्रमांक 705/2001 अंतर्गत धारा 304–बी भ.दं.वि. के रूप में पंजीबद्ध किया गया। जो मृतिका के ससुराल वालों द्वारा मृतिका को प्रताड़ित करने एवं दहेज की मांग करने एवं अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की जांच की जावें।

4) दिनांक 17/10/2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा श्याम सुंदर अग्रवाल (चाचा), रमेश चन्द्र अग्रवाल (पिता), श्रीमती नीला देवी (माता) एवं श्रीमती रत्ना (चाची) का कथन धारा 161

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दं.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 26/02/2002 को वंदना देवी (बहन), राहुल कुमार जजोदिया (जीजा) का कथन लेखबद्ध किया गया तथा अन्य गवाहों जो संबलपुर में उनके पड़ोसी थे उनका भी कथन लेखबद्ध किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् सभी आरोपीगण के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण को संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया माननीय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियोग पत्र एवं समस्त दस्तावेजों को सुक्षम अवलोकन करने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क नियत दिनांक को सुनने के पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 304-बी. एवं विकल्प में धारा 306 भा.दं.वि.का आरोप प्रत्येक पुनीरक्षणकर्ता के विरूद्ध आरोप आरोपित किया गया। आरोपीगण आरोप अस्वीकार कर वैधानिकता एवं वैधता की चुनौती दी।

5) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.सी.दत्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि मर्ग रिपोर्ट 26/06/2001 को (मृतिका) की सांस द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को किसी भी साक्षी ने मृतिका के ससुराल वालों द्वारा मृतिका से दहेज मांगने, प्रताड़ित करने एवं अभद्र व्यवहार के संबंध में कोई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आरोप नहीं लगाया था। संपूर्ण विवेचना 26/06/2001 से 27/07/2001 के मध्य पूर्व हो गई थी, तत्पश्चात् ढाई माह बाद योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 13/10/2001 को सभी साक्षी जैसे माता, पिता, चाचा, चाची एवं अन्य संबंधी द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोप लगाया गया है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध से पुनः साक्षियों का बयान लिया गया तथा दिनांक 13/10/2001 को दर्ज किये गये बयान अनवर्तीय बयान दोहराए गए है जो पूरी जांच होने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवांछनीय कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं होने बाद में सोच समझकर दिया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई भी दस्तावेज आरोप आरोपित करने हेतु अभिलेख में उपलब्ध नहीं है दस्तावेज की गलत व्याख्या कर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आरोप अधिरोपित किया गया। पुनः यह तर्क किया गया है अभिलेख में आरोप आरोपित करने हेतु कोई भी तथ्य उपलब्ध न होने के कारण पुनरीक्षण को अधिरोपित आरोप से उन्मुक्त किया जावे। जो न्याय दृष्टांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (2002 (1) सी.सी.आर.जे.77 (म.प्र.)) अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रकरण सुनवाई के लिये उपयुक्त है या नहीं इस संबंध में जांच के दो चरणों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। जिसमें पहले चरण में जांच के दौरान किसी भी साक्षी ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध को आरोप नहीं लगाया और दूसरे चरण में ढाई माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आरोप लगाया शुरू किया उपरोक्त निर्णय की कंडिका 5 का यह भाग ''किसी दिए गए मामले में अभिलेख पर विचार करने योग्य सामग्री हो सकती है प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। न्यायालय का यह दृष्टिकोण की अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय को उसके संज्ञान में लाए गए, तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाना था कि प्रकरण विचारण के लिए उपर्युक्त है या नहीं। अभिलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ए.आई.आर. 2002 एम.सी. 564 (दिलावर बाबू कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य) एवं यूनियन भारत संघ विरूद्ध प्रफूल कुमार सामल एवं अन्य (1979 (3) एस.एस.सी. पृष्ठ 5) के निर्णय के पैरा 12 में उल्लेखित तथ्य जो निम्नानुसार है:–

> ''दं.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून की स्थापित स्थिति यह है कि न्यायाधीश जब उक्त धारा के अंतर्गत विचारण करता है तो उसके समक्ष समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म एवं मूल्यांकन करने का निसंदेह अधिकार होता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं अभियुक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के विरूद्ध आये प्रकरण में समुचित व्याख्या नहीं की गई है तथा अभियुक्त विरूद्ध गंभीर आरोप आरोपित करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं तथा आरोपित आरोप विचारण करने योग्य न्याय संगत होगा। यदि न्यायाधीश का दृष्टिकोण सामान रूप से संभव है और संतुष्टि है, समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य केवल संदेह उत्पन्न करें परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर संदेह नहीं है तब वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत न्यायोचित होगा, न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के सहायक या मुख्यपात्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता परन्तु उसे प्रकरण की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के संपूर्ण विश्लेषण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करना होता है। किन्तु प्रकरण से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। इस संबंध में न्यायाधीश को विचार नहीं करना चाहिए। इस संबंध में निरंजन सिंह करन सिंह पंजाबी विरूद्ध जितेन्द्र भीमराज बजाज एवं अन्य (ए०आई०आर० 1990 एस.सी.1962) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आरोप तय करने के संबंध में अभिलेख पर भौतिक दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है जिससे कि यह पता लगाया जा सके तो कथित अपराध के अस्तित्व को प्रकट करते है। यह भी कहा गया है कि सीमित उद्देश्य के लिए प्रारंभिक चरण में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती सभी बातें सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाये जबकि प्रकरण में सामान्य समझ या व्यापक संभावना के विपरीत हो।

6) उन्होंने यह भी कहा इस स्तर पर साक्ष्य पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध एस.बी. जोहरी एवं अन्य ((2002) 2) एस.सी.सी. पृष्ठ क्रमांक 57 अवलोकनीय है जिसके आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपों को निरस्त करने के लिए यदि अभियोजन पक्ष के संपूर्ण प्रकरण को स्वीकार्य करने के उपरांत भी आरोपित सिद्ध नहीं होगा, उपरोक्त निर्णय के विभिन्न कंडिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में श्रीमती ओमवती एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली राज्य प्रशासन एवं अन्य ((2001) 4 एस.सी.सी. 333) अवलोकनीय है। उक्त निर्णय के पैरा 12 में यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का यह वैधानिक दायित्व है कि वह प्रकरण के प्रारंभिक चरण में केवल एक परिकल्पना या दूरगामी कारणों से हस्तक्षेप न करें, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को उचित ठहराने के बराबर है तथा बेईमान व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, मामले की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए विधिक तकनीकी की आड़ में बिना कारण और अनुचित मुकदमेबाजी का सहारा लेकर अपराधिक प्रकरण की परिणति को रोकना चाहिए। उपरोक्त निर्णयों पर विश्वास करते हुए न्यायालय को इस बात के लिए आगाह किया कि इस स्तर पर साक्षियों की साक्ष्य नहीं ली गई है, इसे वैसा ही स्वीकार कर लिया गया है जैसा की अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई वास्तविक प्रकरण बनता है या नहीं। इस संबंध में माननीय उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय 2003 ए.आई.आर.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एस.सी.डब्ल्यू. 111 (आलमगीर सानी विरूद्ध असम राज्य) अवलोकनीय है यह भी तर्क दिया कि मृतिका के साथ दुर्व्यहार या उत्पीड़न दहेज के कथन उसके माता–पिता एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रारंभिक चरण में नहीं दिए गए थे। यदि न्यायालय को प्रथम दृष्टिया प्रकरण ऐसा लगता है कि अंतर्गत धारा 304–बी भा.दं.सं. के अपराध के लिये साक्ष्य उपलब्ध है तब आरोपों को कायम रखकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण चलाया जाना चाहिए। इस न्यायालय का ध्यान निर्णय के पैरा 9 की ओर आकर्षित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उपरोक्त तर्कों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध धारा 304 बी या 306 भा.दं.सं. का अपराध स्थिर रहेगा या नहीं ? पुनरीक्षणकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क पर जांच पूर्ण हो गई थी एवं साक्षियों के बयान दर्ज किये गये थे। इन गवाहों ने लगभग प्रत्येक गवाह ने अपने कथन में मृतिका के मृत्यु के संबंध में कोई संदेह नहीं है, कहा है। मृतिका के पिता, माता, पुत्री, चाचा, चाची और बहन उनके अनैछिक कथनों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता यह तर्क विधि की दृष्टि में उचित प्रतीत नहीं होता। प्राथमिकी दिनांक 13.10.2001 को लेखबद्ध की गई थी

तत्पश्चात् धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन दर्ज किये गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षियों अर्थात पिता–माता, चाचा, चाची के कथनों में पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आरोप न लगाने के संबंध में कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया गया है। दिनांक 17.10.2001 को धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये कथनों को इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कानून के ऐसे प्रावधान प्रस्तुत नहीं कर सके कि जिससे यह प्रमाणित हो, कि अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कोई दूसरा बयान दर्ज नहीं किया जा सकता अथवा दर्ज किए गए बयानों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के पंजीबद्ध करने के पश्चात् प्रारंभ होता है। दं.प्र.सं. के अध्याय ग्प्प् में पुलिस को सूचना देने तथा जांच करने से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। धारा 154 संज्ञेय मामलों से संबंधित है एवं धारा 155 असंज्ञेय मामलों की सूचना और उससे संबंधित स्पष्टिकरण से संबंधित है धारा 156 पुलिस अधिकारियों की संज्ञेय अपराध में जांच करने की शक्ति प्रदान करती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है तथा धारा 157 जब्ती की प्रक्रिया प्रदान करती है। दं.प्र.संहिता की धारा 159 और 160 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों के धारा 161 के अंतर्गत गवाहों को पेश करने की शक्ति दी गई है। धारा 162 के अंतर्गत जांच पूरी होने के पश्चात दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है दं.प्र.संहिता के अध्याय 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अधिकारियों को धारा 161 के अंतर्गत सबूत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। जो कि संभाव अपराध के संबंध में पहली पुष्टी जांच के अधीन है।, जो प्रकृति के अन्वेषण के दौरान धारा 161 के दं.प्र.संहिता के अधीन ऐसे बयान दर्ज किये जाते हैं, बयानों के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध बनता है, आरोप पत्र दाखिल किया तथा न्यायालय को यह अधिकार है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रकरण पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) उपरोक्त विवेचना के आधार पर उक्त मामले में साक्षियों के बयान का संदर्भ लिया जा सकता है। मृतक के चाचा श्याम सं ुदर अग्रवाल इस मामले में प्रथम सूचना करता है ने अपने बयानों में दो स्थानों में इस प्रकार उल्लेख किया है जो निम्नानुसार है:–

1) ''वह फोन पर बोलती थी कि मेरे ससुराल वालों को दहेज बिल्कुल पसंद नहीं आया सभी समान खराब (घटिया) बोलते हैं और कहते है कि टी.वी., फ्रिज कार वगैरह तो देना ही चाहिए था इसलिए गाली–गलौच भी करते थे तथा मानसिक रूप से भी उठा देते हैं बोलकर रोने लगती थी।''

2) ''मेरी भतीजी पूजा अग्रवाल की मृत्यु उसके पति सास–ससुर ननंद एवं देवर के द्वारा की जा रही दहेज प्रताड़ना के कारण हुई है। ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''कृपया पेपर बुक के पेज नं. 144 और 145 देखें।''

मृतक के पिता रमेश चन्द्र का कथन निम्नानुसार है:–

1) ''पूजा से फोन पर बात हुई थी तो पूजा बताई थी कि मेरे द्वारा दिये गये दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं है। पूजा से प्रायः दो–तीन दिन में फोन से बात होती रहती थी वह फोन पर बोलती थी कि मेरे ससुराल वालों को दहेज बिल्कुल पसंद नहीं आया सब कहते हैं कि समान हल्का व निम्न स्तर

का हैं कम से कम टी.वी. कूलर, फ्रिज वगैरह तो होना ही चाहिये था। गाली–गलौच तथा तंग करते हैं बाकि कभी–कभी मारने के लिये हाथ भी उठा देते हैं बोलकर रोने लगती थी जब वह हनीमून पर गयी थी तब भी उसके फोन से ऐसा लगता था कि वह खुश नहीं है और केवल इतना ही कहती थी।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) ''अन्दरूनी तौर से हम डरे हुये भी थे कि उड़ीसा से हम रायपुर आये हैं इसलिये पूर्व में इस संबंध में मैंने लिख पढ़ी किया था।''

''कृपया पेपर बुक के पेज क्र. 148 और 149 देखें''

नीला देवी का बयान के अंश निम्नानुसार:–

''मेरी लड़की को जलाया गया है स्वयं नहीं जली है। दहेज के कारण ही पूजा की मृत्यु हुई यह बात एकदम निश्चित है। पूजा की मृत्यु के समय मैं इतना अधिक विचलित हो गई थी

कि अपने आप में नहीं रही। क्या लिखा रही हूं मुझे कुछ होश नहीं था मुझे तो ऐसा लगता था कि ''..................

''कृपया पेपर बुक के पेज नं. 152 को देखें''

अन्य साक्षियेो के कथन भी अभियोजन पक्ष का समर्थन करते है। जो धारा 304–बी और/या धारा 306 भ.दं.सं. को प्रमाणित करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) नीरंजन सिंह या दिलावर बाबू या एस.बी. जौहरी के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्षियों के बयानों के विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरोपीगण को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है कि नहीं इस आधार पर कम से कम न्यूनतम आरोप आरोपित किए जा सकते है। यदि पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता के तर्क स्वीकार कर लिए जाए तब भी आरोप सिद्ध हो सकते है। दूसरे कथनों में केवल वही कथन शामिल है जिसके बारे में अभियोजन पक्ष ने अलग–अलग रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है इस कारण से इस कथनों को निरस्त कर दिया

जाना चाहिए। मेरा निर्णय उपरोक्त संदर्भित विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रथम तर्क इस कारण विफल है कि कथन आरोप के बाद आए है जिसे धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसे विलंबित चरण में निरस्त कर देना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) अब नियमानुसार द्वितीय विवेचना के साथ–साथ अन्य साक्षियों के संबंधित द्वितीय कथन की भी विवेचना करते हैं कि न्यायालय ने इस संबंध में कोई गलत विवेचना नहीं की है। इस संदर्भ में धारा 227 एवं 228 दं.प्र.सं. संदर्भित है । सत्र न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों पर एवं दोनों धाराओं पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण ने भा.दं.सं. के उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध किये है। न्यायालय द्वारा कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, उभय पक्षों को सुनवाई का उचित

अवसर देने एवं रिकार्ड प्रकरण मंे आए सकारात्मक आरोपों के आधार पर आरोप तय किए गए है।

11) तीसरे तर्क के आधार पर भी आरोपों को स्थिर रखा जा सकता है। धारा 304 बी और धारा 306 भा.दं.सं. के साथ–साथ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्षियों के कथन की विवेचना करने पर मृतिका ने विवाह के कुछ दिनों पश्चात अपने निजी घर में शाम को जाकर आत्महत्या कर ली जहां पुनरीक्षणकर्ता संयुक्त रूप से निवासरत थे। प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि मृतिका को उसके पति से संबंध के कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उत्पीड़न क्रुर्रता का सामना करना पड़ा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस घटना में पुनरीक्षणकर्ता की संलिप्तता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है विवाह के 90 प्रतिशत जलने के उपरांत भी एक नवविवाहित बहु को परिवार के सदस्यों का प्रतिरोध या बचाव नहीं मिल सका। और एक छोटे से निवास स्थान में संयुक्त रूप से निवासरत् परिजनों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) परिणाम स्वरूप सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आरोपित आरोपों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपित आरोपों को निर्धारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप एवं आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पुनरीक्षणकर्ता की अपील निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत् स्थिर रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri